

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-१९/०२/२०२६

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू० ९५,००,०००/- (रूपये पन्चानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय सकल्प संख्या-१०१७(१), दिनांक-२८.०८.२०१७ एवं सकल्प संख्या-८७७(१), दिनांक-२७.०९.२०२२ के आलोक में वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू० ९५,००,०००/- (रूपये पन्चानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(२) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-२० के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-२२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-०१-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-११०-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-०००८-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-२०-२२१०-०१-११०-०००८ अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (३४-०१) मद में बजट पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

(३) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर होंगे एवं नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होंगे ।

(४) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(५) राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी ।

(६) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१/वि(२), दिनांक-१७.०४.१९९८ के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(७) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-४२A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(८) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-७ / MCH -35-06/2025 के पृष्ठ-०९/टि० पर प्राप्त है ।

(९) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(१०) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(११) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वरामभाजन,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव


Upram

ज्ञापांक:- 7/MCH-35-06/2025-..... 94 (7B) /स्वा0, पटना, दिनांक:- 19/02/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


19.2.26
सरकार के अपर सचिव
A.H.M.